न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

.सं. 66/2024
ीसीएमएस : 2024/154

1. लालूदेवी उर्फ मनोहरी देवी पत्नी रिछपाल जाति बावरी साकिन 59 एन.पी. (श्यामगढ़) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। —: प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—209 आरटीएक्ट</u>

तारीख रजू 11.06.2024

उपस्थितः 1. श्री भूपसिंह मेघवाल अधि. वादिया।
2. राजपेरोकार सरकार प्रतिवादी

दिनांक : 31.07.2025

—निर्णय—

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के नाम चक 59 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 21/38 में दर्ज अनुसार मु.नं. 49 पं.नं. 219/359 की कुल 6.325 है. नहरी खातेदारी भूमि में 1/4 भाग की खातेदार है जिसमें वादिया का घरू नाम लालू देवी पत्नी रिछपाल दर्ज है। मुझ वादिया को दो नामों लालूदेवी व मनोहरी देवी के नाम से जाना व पहचाना जाता है व लालूदेवी मुझ वादिया का घरू नाम है तथा मेरा वास्तविक व सही नाम मनोहरी देवी है जो मेरे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व राशन कार्ड में दर्ज है तथा लालू देवी व मनोहरी देवी दोनों ही नाम मुझ वादिया के होने व एक ही औरत में वादिया होन बाबत कार्यालय ग्राम पंचायत श्यामगढ़ ने प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में मुझ वादिया का नाम लालूदेवी व अन्य कागजात में मनोहरी देवी दर्ज होने के कारण मुझ वादिया को उक्त भूमि पर ऋण साख सीमा प्राप्त करने व राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि एवं अनुदान आदि प्राप्त करने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझ वादिया को उक्त भूमि बैंक से के.सी.सी. ऋण साख सीमा बाबत आवेदन किये जाने पर बैंक द्वारा जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में लालू देवी व अन्य दस्तावेज आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में मेरा नाम मनोहरी देवी दर्ज होने के कारण बैंक द्वारा के.सी.सी. ऋण साख सीमा मुझ वादिया को देने से असमर्थता जाहिर की जिस पर मुझ वादिया ने जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में मुझ वादिया का नाम लालू देवी उर्फ मनोहरी देवी दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रथमतः टालमटोल के बाद अन्ततः दिनांक 01.06.2024 को बमुकाम रायसिंहनगर में इस हेतु सक्षम अदालत में वाद पत्र पेश करने के निर्देश दिये गये इसलिए मैं वादिया राजस्व रिकार्ड में लालू देवी उर्फ मनोहरी देवी दर्ज करवाने व खातेदार घोषित किये जाने हेतु यह वाद पत्र पेश अदालत कर रही हूँ तथा यही विनाऐ दावा एवं मुखासमत दावा वादिया के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद पेश है। अतः वाद वादिया पेश कर निवेदन है कि वाद वादिया बहक वादिया खिलाफ प्रतिवादी निम्नप्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे कि वाके चक 59 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 21/38 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 49 प.नं. 219/359 की कुल 6.325 है. नहरी खातेदारी भूमि में 1/4 भाग की खातेदारी भूमि का मुझ वादिया को खातेदार घोषित फरमाया जाकर जमाबन्दी राज[illegible] में मुझ वादिया का नाम लालू देवी पत्नी रिछपाल के स्थान पर लालूदेवी उर्फ म[illegible] द[illegible] पत्नी रिछपाल दर्ज किये जाने के आदेश सादिर फरमाया जाकर [illegible]

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति[illegible] जरिए सम्मन [illegible] किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका रिपोर्ट भिजवाने [illegible] सरकार की त[illegible] से राजपेरोकार उप तहसीलदार समेजा [illegible] किया कि वाद पत्र रिका[illegible] की हद तक स्वीकार है अन्य तथ्य वादी द्वारा प्रस्तुत किये जा[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.05 15:38:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

हसीलदार रायसिंहनगर ने पत्र क्रमांक: भू.अ./25/4844 दिनांक 23.07.2025 से मौका जांच ताबिक रिकार्ड अनुसार चक 59 एनपी के पं नं. 219/359 के मु.नं. 49 के कि.नं. 1 ता 25 6.325 है नहरी भूमि में लालू देवी पत्नी रिछपाल 1/4 हिस्सा जाति बावरी साकिन देह ातेदार दर्ज हैं। जो कि लालू देवी को जरिये वसीयत इन्तकाल संख्या 202 से प्राप्त हुई है। ातेदार का नाम लालू देवी पत्नी रिछपाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जबकि अन्य सभी स्तावेजों में उसका नाम मनोहरी देवी है। मुताबिक रिपोर्ट लालू देवी एवं मनोहरी देवी एक ी महिला के नाम है। काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अपना नाम लालू देवी उर्फ मनोहरी देवी रवाना चाहती है। ये दोनों नाम एक ही महिला के होने के कारण खातेदार का नाम लालू देवी उर्फ मनोहरी देवी किया जाना उचित हैं।

वादिया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में संलग्न पहचान दस्तावेज, वाद पत्र, शपथ पत्र आदि का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। भूमि धारक प्रतिवादी तहसीलदार रायसिंहनगर की अपनी मौका जांच रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड में लालू देवी पत्नी रिछपाल के स्थान पर लालू देवी उर्फ मनोहरी देवी पत्नी रिछपाल किये जाने की अनुशषां की है उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः वाद पत्र वादिया अंतर्गत धारा 88–209 आरटीएक्ट भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर **राजस्व रिकार्ड के चक 59 एनपी के पं नं. 219/359 के मु.नं. 49 के कि.नं. 1 ता 25 में 6.325 है नहरी भूमि में 1/4 हिस्सा में लालू देवी पत्नी रिछपाल नाम दर्ज हैं। लालू देवी पत्नी रिछपाल के स्थान पर लालू देवी उर्फ मनोहरी देवी पत्नी रिछपाल दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है** पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.05 15:38:28 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner